राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का शिक्षा की प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन पर प्रभाव

संजय बुन्देला

फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एण्ड मेथोडोलॉजी,

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और शैक्षिक प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन के प्रभाव पर आधारित है। वर्तमान शिक्षा नीति में कई बड़े परिवर्तन किए गए है। जिसके तहत शिक्षा की रूपरेखा, संरचना में परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर आया है। इस नीति में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, मातृभाषा और प्रायोगिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है। विद्यार्थियों के कौशल को आधार बनाकर विषय चयन में परिवर्तन किया गया है। परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए परीक्षा और अंकतालिका निर्माण के पुराने नियमों को परिवर्तित किया गया है। स्थानीय स्तर पर परामर्श निर्देशन हेतु स्थानीय लोगों की सहभागिता को बढ़ाया गया है। इन परिवर्तनों के कारण विद्यालय स्तर पर कई प्रशासनिक परिवर्तन करने होंगे। शिक्षकों की भूमिका में भी परिवर्तन आ रहा है। प्रस्तुत शोध इसी प्रशासनिक परिवर्तनों के प्रभावों, समस्याओं, लाभों और समाधानों पर केन्द्रित है।

मुख्य बिंदु

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रशासनिक परिवर्तन, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, प्रायोगिक शिक्षा

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 को 30 जुलाई, 2020 को जारी किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने जून 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमिटी (डॉ. के. कस्तूरीरंगन) का गठन किया था। कमिटी ने मई 2019 में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट एनईपी सौंपा। एनईपी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेगी। इस नीति में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, मातृभाषा और प्रायोगिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है। विद्यार्थियों के कौशल को आधार बनाकर विषय चयन में परिवर्तन किया गया है। परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए परीक्षा और अंकतालिका निर्माण के पुराने नियमों को परिवर्तित किया गया है। स्थानीय स्तर पर परामर्श निर्देशन हेतु स्थानीय लोगों की सहभागिता को बढ़ाया गया है। इन परिवर्तनों के कारण विद्यालय स्तर पर कई प्रशासनिक परिवर्तन करने होंगे ।

उद्देश्य

1. नई शिक्षा नीति 2020 के परिवर्तनों की जांच करना ।
2. नई शिक्षा नीति 2020 की समस्या, लाभ और प्रभाव की जांच करना ।

कार्यप्रणाली

शोध कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य से नई शिक्षा नीति, 2020 के प्रभाव को अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन को फिर से तैयार करना हैं । अध्ययन का स्वरुप वर्णनात्मक है जो द्वितीयक तथ्यों पर आधारित हैं । जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिवेदन , पत्रिका, समाचार पत्र इत्यादि से सूचना एकत्रित की गई है। खोज विधियां रणनीतिक हैं जो प्रक्रियाएं नए अनुक्रम की खोज करने या बेहतर समझ बनाने के लिए जांच के लिए सबूतों के संग्रह का उपयोग करती हैं।

एनईपी 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र को फिर से परिभाषित करने के लिए 10 बड़े विचार इस प्रकार हैं–

1. **उत्कृष्टता के उद्देश्य से विश्व स्तरीय शिक्षा –** इसमें पूरी दृढ़ता से विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा प्रणाली के निर्माण की आकांक्षा की गई है और माना गया है कि यह भारत के भविष्य के लिए और ज्ञान परक समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी है।

Copyright ⓒ 2020Authors

2. बहु–विषयक और उदार शिक्षा – इसमें एसटीईएम यानी साइंस, टेक्नोलोजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन में अध्ययन के साथ–साथ लिबरल आर्ट्स, मानविकी और सामाजिक विज्ञान पर जोर देने के साथ एक उदार, बहु–विषयक और अंतर–अनुशासनात्मक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

3. विनियामक सुधार और सार्वजनिक – सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों के पुराने अवरोधों और भेदों को दूर करके उच्च शिक्षा में मूलभूत और महत्वपूर्ण विनियामक सुधार किए गए हैं।

4. गुणवत्ता आश्वासन और पहुंच के साथ विस्तार – इसमें विस्तार, पहुंच, इक्विटी, समावेश और उत्कृष्टता से संबंधित नीति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये सभी समान रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं जिन्हें एक साथ पूरा करने की आवश्यकता है।

5. रिसर्च इकोसिस्टम – इसमें अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति पर जोर दिया गया है, जो भविष्य में उच्च शिक्षा की कल्पना के लिए केंद्र बिंदु है। साथ ही शिक्षा में उच्च सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) निवेश की परिकल्पना करते समय, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण धन प्रोत्साहन और अनुदान बनाने का प्रयास किया गया है।

6. फैकल्टी फोकस – यह मानते हुए कि संकाय सदस्य उच्च शिक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसमें मेंटरिंग, रिटेंशन, प्रोत्साहन, उपलब्धियों और संकाय विकास कार्यक्रमों पर अधिक फोकस के साथ उत्कृष्ट फैकल्टी की भर्ती के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है।

7. गवर्नेस और नेतृत्व – इसमें प्रशासन और संस्था–निर्माण के प्रयासों में गवर्नेस और नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें संस्था की प्रभावशीलता के सभी पहलू नेतृत्व और प्रशासनिक ढांचों पर निर्भर होंगे।

8. शैक्षणिक स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता – इसमें डिग्री कार्यक्रमों की अवधि निर्धारित करने में पर्याप्त स्वतंत्रता और शैक्षणिक लचीलेपन के साथ वित्त पोषण, पाठ्यक्रम विकास, छात्र का नामांकन, और संकाय भर्ती में शैक्षणिक स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता के महत्व को रेखांकित किया गया है।

9. सार्वजनिक अनुदान और निजी परोपकार – इसने उच्च शिक्षा में जीडीपी निवेश में वृद्धि के साथ वित्त पोषण की रूपरेखा को मजबूत किया है और परोपकार पर जोर देते हुए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका को मान्यता दी गई है।

10. अंतर्राष्ट्रीयकरण, प्रत्यायन और डिजिटलीकरण – इसमें दुनिया भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीयकरण के महत्व की सराहना की गई है। इसमें विश्वविद्यालयों की मान्यता और वैश्विक बेंचमार्किंग को गंभीरता से लिया गया है, जिसमें रैंकिंग भी शामिल है। इसमें उच्च शिक्षा के डिजिटलीकरण के लिए महत्वपूर्ण समर्थन और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने और मौजूदा डिजिटल बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है।

हालांकि, एनईपी 2020 को माननीय प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप लागू करने के लिए, कुछ संस्थागत चुनौतियों और व्यवहार संबंधी पहलुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र और, विशेष रूप से, सरकारी एजेंसियों और नियामक निकायों को परिवर्तन, सुधार, पुनः कल्पना और परिवर्तन के क्षेत्रों के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने की आवश्यकता–

संपूर्ण उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र और, विशेष रूप से, सरकारी एजेंसियों और नियामक निकायों को परिवर्तन, सुधार, पुनः कल्पना और परिवर्तन के निम्नलिखित 5 प्रमुख क्षेत्रों के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने की आवश्यकता है–

1. विश्वास निर्माण – हमें सरकारी एजेंसियों, नियामक निकायों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच विश्वास, सम्मान और कॉलेजियम की संस्कृति का निर्माण करने की आवश्यकता है। वर्तमान में, यह एक बड़ी चुनौती है और एक एकीकृत विकास तथा देश के लिए एक मजबूत उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए हमारे सभी प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

2. पारदर्शी और समीचीन निर्णय लेना – हमें समयबद्ध तरीके से सरकारी एजेंसियों और नियामक निकायों के भीतर तेजी से निर्णय लेने के लिए पारदर्शी और जवाबदेही आधारित तंत्र बनाने की जरूरत है। इस प्रयास में कई अड़चनें हैं और कीमती समय निर्णय लेने के विभिन्न पहलुओं में खो जाता है।

Copyright ⓒ 2020Authors

3. संस्थागत स्वतंत्रता – हमें उच्च शिक्षा संस्थानों को जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने और संस्थानों के साथ निहित जवाबदेही के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। अधिक शक्ति देने की आवश्यकता है और उस प्रक्रिया में उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि वे एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए अधिक प्रभावी ढंग से योगदान कर सकें।

4. सक्रिय और भागीदारी परामर्श – हमें सरकारी एजेंसियों और नियामक निकायों द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ प्रचारक और सहभागी परामर्श तंत्र की आवश्यकता है, विशेष रूप से नए नियमों को लागू करना या मौजूदा नियमों में संशोधन करना जो संस्थानों को किसी भी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। हितधारक परामर्श मॉडल जिसमें विनियमों के कारण प्रभावित होने वाले संस्थानों को नियमों के निर्माण से पहले अग्रिम में परामर्श करने की आवश्यकता होती है।

5. आईओई और स्वायत्त संस्थानों को सशक्त बनाना – हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जो विश्वविद्यालय वैश्विक रैंकिंग में उच्च स्थान हासिल करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों की दृष्टि को पूरा करते हैं, उन्हें और अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।

शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन

शिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रबंधन – शिक्षकों के प्रशिक्षण के मौजूदा बीएड प्रोग्राम के स्थान पर चार वर्ष का एकीकृत बीएड प्रोग्राम होगा जिसमें उच्च क्वालिटी का कंटेट, पेडेगॉगी और व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे हर वर्ष न्यूनतम 50 घंटे निरंतर पेशेवर विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करें। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद एनसीईआरटी के सहयोग से शिक्षकों की शिक्षा का राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगा। शिक्षकों से शिक्षण के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य नहीं कराए जाएंगे और उनके बहुत अधिक तबादले नहीं किए जाएंगे (विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित तबादलों को छोड़कर)।

स्कूलों में सुशासन – कमिटी ने कहा था कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों को शुरू करने से शिक्षा तक सबकी पहुंच बनी है। लेकिन इससे ऐसे स्कूलों की संख्या भी बढ़ी है जहां विद्यार्थी बहुत कम संख्या में मौजूद हैं (2016–17 में प्राथमिक शिक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत संख्या 14 थी)। स्कूलों के छोटे आकार के कारण उन्हें चलाना मुश्किल होता है, खासकर आर्थिक रूप से क्योंकि तब शिक्षकों की नियुक्ति और फिजिकल रिसोर्सेज़ जैसे लाइब्रेरी की किताबों, स्पोर्ट्स के सामान को जुटाने में ज्यादा खर्च होता है। एनईपी ने सुझाव दिया है कि कई स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल परिसर बनाया जाए। स्कूल परिसर में सेकेंडरी स्कूल और 5–10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल और आंगनवाड़ियां शामिल होंगी। इससे निम्नलिखित सुनिश्चित होगा– (1) स्कूल परिसर में सभी विषयों के लिए शिक्षकों की पर्याप्त संख्या (2) पर्याप्त भौतिक संसाधन (जैसे लाइब्रेरी की किताबों, स्पोर्ट्स का सामान) और (3) स्कूलों के लिए सुशासन।

स्कूल का रेगुलेशन – वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों के गवर्नेंस और रेगुलेशन का सारा काम करता है। कमिटी ने कहा था कि इससे हितों का टकराव होता है और सत्ता का केंद्रीकरण भी होता है। उसने सुझाव दिया था कि विभाग को सिर्फ नीतियां बनाने और उसकी निगरानी करने में शामिल किया जाए, पर स्कूलों के रेगुलेशन में नहीं। प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। वह सरकारी और निजी स्कूलों के लिए बुनियादी मानदंड निर्दिष्ट करेगी। स्कूलों के लिए सेल्फ रेगुलेशन या एक्रेडिटेशन प्रणाली बनाई जाएगी।

संस्थानों का पुनर्गठन – सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को तीन श्रेणियों में पुनर्गठित किया जाएगा– (1) अनुसंधान विश्वविद्यालय, जिनका अनुसंधान और शिक्षण पर समान रूप से ध्यान होगा (2) शिक्षण विश्वविद्यालय जो शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे (3) डिग्री देने वाले कॉलेज जिनका मुख्य ध्यान अंडरग्रैजुएट शिक्षण पर होगा। ऐसे सभी संस्थान धीरे धीरे शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता की ओर बढ़ेंगे। सभी एचईआईज़ अंततः 3,000 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले बड़े मल्टीडिस्पलिनरी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में तब्दील हो जाएंगे। 2030 तक प्रत्येक जिले में, या उसके निकट एक बड़ा मल्टीडिस्पलिनरी एचईआई होना चाहिए।

रेगुलेटरी संरचना – भारत में उच्च शिक्षा के रेगुलेटरी ढांचे में कायापलट की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि अलग, स्वतंत्र निकाय रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, वित्त पोषण और शिक्षण मानदंडों को बनाने जैसे कार्य करें। इससे हितों का टकराव कम होगा और सत्ता का केंद्रीकरण खत्म होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना की जाएगी जिसमें चार स्वतंत्र वर्टिकल होंगे–

(1) राष्ट्रीय उच्च शिक्षा रेगुलेटरी परिषद, जोकि सिंगल रेगुलेटर होगी (इसमें शिक्षकों की शिक्षा शामिल होगी, पर कानूनी और मेडिकल शिक्षा शामिल नहीं होंगी) ।

Copyright ⓒ 2020Authors

(2) संस्थानों का एक्रेडिटेशन करने के लिए राष्ट्रीय एक्रेडिटेशन परिषद ।

(3) उच्च शिक्षण संस्थानों के वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद।

(4) उच्च शिक्षा के करिकुलम का फ्रेमवर्क और लर्निंग लेवल्स को तय करने के लिए सामान्य शिक्षा परिषद। इन चारों के बीच विवाद होने पर एचईसीआई के अंतर्गत विशेषज्ञों का एक निकाय उसे हल करेगा।

विदेशी विश्वविद्यालय उच्च प्रदर्शन वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को दूसरे देशों में कैंपस बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी प्रकार चुनींदा प्रमुख ग्लोबल विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन की अनुमति दी जाएगी। विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इन विश्वविद्यालयों को देश में स्वायत्त संस्थानों के अनुरूप रेगुलेटरी और गवर्नेंस के नियमों में छूट दी जाएगी।

निष्कर्ष

हालांकि सभी हित धारकों के बीच विश्वास विकसित करने और नियामक प्रणाली में पारदर्शिता विकसित करने की जिम्मेदारी के साथ स्वायतता प्रदान करने तथा भागीदारी ढांचे के तहत संस्थानों को सशक्त बनाने के संबंध में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का प्रबंधन करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता के लिए अपरिहार्य हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. नई शिक्षा नीति – पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे ये बड़े बदलाव – आज तक (नई शिक्षा नीति, 2020)
2. नई शिक्षा नीति–2020 प्रमुख पॉइंट्स एक नजर में, 30 जुलाई 2020. नई शिक्षा नीति, नवभारत टाइम्स
3. नई शिक्षा नीति, पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे ये बड़े बदलाव, आज तक
4. नई शिक्षा नीति 2020, स्कूल एजुकेशन, बोर्ड एग्जाम, ग्रेजुएशन डिग्री में हुए बड़े बदलाव, जानें 20 खास बातें, हिन्दुस्तान लाइव
5. सिंह, प्रोफेसर दिनेश (29 जुलाई 2020), स्कूली और उच्च शिक्षा की बेड़ियां खोलेगी नई शिक्षा नीति, द क्विंट.
6. सिंह, सरोज (30 जुलाई 2020), नई शिक्षा नीति 2020, सिर्फ़ आरएसएस का एजेंडा या आम लोगों की बात भी, बीबीसी हिन्दी

Copyright ⓒ 2020Authors